समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर ।

परिवाद संख्या - 07/2022

सत्य नारायन शुक्ला पुत्र स्व. राम लखन शुक्ला,
निवासी गांव मिरानपुर, तहसील घाटमपुर, कानपुर नगर

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.)
घाटमपुर, कानपुर नगर ।

--------- विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

परिवादी सत्य नारायन शुक्ला पुत्र स्व. राम लखन शुक्ला, निवासी गांव मिरानपुर, तहसील घाटमपुर, कानपुर नगर द्वारा परिवाद इस आश्य से दाखिल किया गया है कि परिवादी द्वारा विपक्षी को अधिक जमा की गयी धनराशि मुबलिग रु. 35,384/- का भुगतान करने का आदेश विपक्षी को प्रदान कराने को दिया जाये ।

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवाद (का.सं. 1/1 ता 1/6 एवं संलग्नक का.सं. 1/7 ता 1/13) दाखिल किया गया । धारा 1 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के पिता स्व. रामलखन शुक्ला के नाम एक ट्यूबवेल कनेक्शन 20 हार्स पावर का लगा था जिसका बुक नं. / कनेक्शन नं. 9311/जी, 359311003932 / 9459311003932 था एवं एकाउन्ट नं. 781706343970 था । धारा 2 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के पिता का देहावसान सितम्बर 2017 में हो गया था परिवादी उनका पुत्र है एवं उसे यह वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है । धारा 3 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी का उपरोक्त कनेक्शन 25.05.2010 को प्रवर्तक जल जाने के फलस्वरूप विच्छेदित कर दिया गया था और उसके पश्चात विद्युत का प्रयोग नहीं हो रहा था फिर भी विपक्षी द्वारा अपने ख़ाता संख्या में प्रार्थी के पिता के नाम फर्जी बिलिंग की जाती रही जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 तक प्रार्थी के पिता के नाम गलत एवं फर्जी बिल मुबलिग रू. 6,25,759/- का विभाग द्वारा अपनी किताबों में दिखाया गया था । धारा 4 में यह अभिलिखित किया गया है कि वर्ष 2019 में उ.प्र. सरकार द्वारा एक मुश्त सरचार्ज रहित समाधान योजना लागू की गयी थी जिसमें यह शर्त थी कि यदि विद्युत उपभोक्ता सही बिल का 30% जमा कर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो से ब्याज रहित बिल दे दिया जायेगा और जमा करायी गयी 30% धनराशि का समायोजन ब्याज रहित बिल में कर दिया जायेगा । प्रार्थी द्वारा विपक्षी के यहां लिखित रूप से सूचित किया गया था कि उसके पिता का विद्युत सम्बन्ध 25.05.2010 से विच्छेदित चल रहा है उसे 25.05.2010 तक का सही बिल ब्याज रहित दिया जाये

आगे जारी है ।

और उक्त बिल का 30% धनराशि जमा कराकर रजिश्ट्रेशन कर लिया जाये परन्तु विपक्षी द्वारा गलत तरीके से फरवारी 2010 तक फर्जी बिलों की धनराशि रू. 6,25,,759/- का 30% धनराशि रू. 90,102/- एवं रजिश्ट्रेशन फीस रू. 2,000/- दिनांक 06.02.2019 को जमा करायी गयी । इस तरह से प्रार्थी द्वारा रू. 92,102/- की धनराशि जमा करायी गयी । धारा 5 में यह अभिलिखित किया गया है कि मजबूर होकर प्रार्थी द्वारा विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, गोविन्द नगर कानपुर देहात के यहां वाद संख्या 6 सन् 2019 प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय दिनांक 18.06.2019 को फोरम द्वारा किया गया निर्णय की प्रतिलिपि इस वादपत्र का अंग है, प्रस्तुत किया जा रहा है । धारा 6 में यह अभिलिखित किया गया है कि उक्त निर्णय के अनुसार विपक्षी को दिनांक 25.05.2010 तक का बिल विवादित कनेक्शन को स्थायी विच्छेदन मानते हुये ब्याज रहित बिल दिया जाये । धारा 7 में यह अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.07.2019 को पत्र के साथ इस फोरम के आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुये फोरम के आदेशानुसार बिल की मांग की गयी परन्तु विपक्षी द्वारा उसे कोई बिल नहीं दिया गया बल्कि उसे एक कागज पर रू. 78,359/- का बिल दिया गया एवं प्रार्थी द्वारा जमा धनराशि रू. 92,102/- घटाते हुये रू. 13,743/- का अधिक भुगतान का बिल दिया गया बिल की प्रतिलिपि इस वादपत्र के साथ संलग्न की जा रही है जो इस वादपत्र का अंग है । धारा 8 में यह अभिलिखित किया गया है कि उपरोक्त बिल में मई 2010 तक का बकाया रू. 96,330/- दिखाया गया, जिसमें अधिभार की धनराशि रू. 21,441/- को घटाते हुये शेष धनराशि रू. 74,889/- दिखायी गयी है जो गलत है । धारा 9 में यह अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी के पिता द्वारा उररोक्त कनेक्शन का बिल दिसम्बर 2006 में रू. 15,500/- किया गया था । उसके पस्चात् प्रार्थी के पिता द्वारा विद्युत की विच्छेदन की तिथि 25,05.2010 तक भुगतान नहीं किया गया इसलिए उपरोक्त कनेक्शन का बिल जनवरी 2007 से विच्छेदित तिथि 25.05.2010 तक देय होती है । प्रार्थी के पिता के यहां या अन्य लोगों के यहां ट्यूबवेल का बिल एक निशचित धनराशि प्रतिमाह के हिसाब से ली जाती थी विद्युत खपत हेतु कोई मीटर नहीं लगाया जाता था । प्रार्थी के पिता द्वारा प्रतिमाह रू. 1,500/- का भुगतान किया जाता रहा है एवं विभाग रू. 1,500/- प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान प्राप्त करता रहा है, अतः प्रार्थी को जनवरी 2007 से मई 2010 तक जो मुबलिग रू. 61,500/- होता है, जबकि विपक्षी द्वारा दिये गये बिल उपरोक्त धनराशि रू. 74,889/- दिखाई गयी है अतः उपरोक्त बिल गलत है । प्रार्थी का सही बिल रू. 68,000/- होना चाहिए जिसमें प्रार्थी द्वारा जमा धनराशि रू. 1,03,384/- में से बिल की धनराशि 68,000/- को घटाने के पश्चात शेष धनराशि रू. 35,384/- होना चाहीये इस तरह से मु. रू. 35,384/- जो अधिक जमा है को वापस करना चाहिये जिसके लिए विपक्षी वाध्य है । धारा 10 में यह अभिलिखित किया गया है कि उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा इस फोरम के आदेश के परिशीलन में जो बिल प्रार्थी को दिया गया है वह गलत है । विपक्षी रू. 35,384/- प्रार्थी को वापस करने हेतु बाध्य है । धारा 11 में यह अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त विभाग की जानकारी में अधिक पैसा विभाग की लापरवाही के कारण प्रार्थी से जमा कराया गया है । यदि विपक्षी प्रार्थी के प्रार्थनानुसार दिनांक 25.05.2010 तक बिल प्रार्थी को दे देता है तो

आगे जारी है ।

प्रार्थी को अधिक धनराशि जमा नहीं करानी पड़ती । विवादित कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित हो चुका है । प्रार्थी के पिता की मृत्यु भी हो चुकी है । अतः अधिक जमा करायी गयी धनराशि जो प्रार्थी की है का भुगतान चेक द्वारा अथवा अन्य माध्यम द्वारा प्रार्थी के नाम से वापस करने हेतु विपक्षी बाध्य है । धारा 12 में यह अभिलिखित किया गया है कि वाद का कारण इस फोरम के आदेश दिनांक 18.06.2019 के उपरान्त उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी को विपक्षी द्वारा पुनः गलत बिल प्रदान किया गया ।

निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, घाटमपुर, कानपुर नगर के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया ।

इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

(1) परिवाद संख्या 07/2022 वादी श्री सत्य नारायण शुक्ला पिता स्व. राम लखन शुक्ला द्वारा संयोजन संख्या 781706343970 से संबन्धित जो वाद दायर किया है उसके सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड घाटमपुर द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर तथा मौखिक बहस द्वारा निम्नलिखित तथ्य पाये गये ।

(2) परिवादी द्वारा यह बताया गया है कि उसके संयोजन पर कनेक्शन निर्गत होने कि तिथि से कैपेसिटर सरचार्ज लगाये जाने पर वादी के पिता स्व. राम लखन शुक्ला (जिनके नाम संयोजन निर्गत किया गया था) ने 20.08.2008 को कागज संख्या 11/2 के माध्यम से सहायक अभियन्ता घाटमपुर को कैपेसिटर सरचार्ज माफ किये जाने हेतु आवेदन किया गया था जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच कराये जाने पर बात सही पायी गयी उसके पशचात भी कैपेसिटर सरचार्ज को माफ नहीं किया गया तथा पी.डी. की कार्यवाही के समय वादी से कैपेसिटर सरचार्ज वसूला गया जो कि नियमानुसार सही नहीं है ।

(3) वादी के पिता द्वारा दिसम्बर 2006 में रू. 15,500/- जमा किया गया था उसके बाद विच्छेदन की तिथि 25.05.2010 तक वादी द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया गया इस प्रकार वादी द्वारा उपरोक्त संयोजन पर जनवरी 2007 से 25.05.2010 तक बिना कैपेसिटर सरचार्ज के विद्युत देयता बनती है ।

(4) वादी द्वारा उपरोक्त परिस्थिति में उसके पिता द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि में से विद्युत चार्ज एवं पी.डी. के मद में अन्य प्रभारो को समायोजित करते हुए शेष धनराशि वापस किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त परिस्थितियो में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद आंशिक रुप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आगे जारी है ।

आदेश

परिवादी सत्य नारायन शुक्ला पुत्र स्व. राम लखन शुक्ला, निवासी गांव मिरानपुर, तहसील घाटमपुर, कानपुर नगर का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड घाटमपुर को आदेशित किया जाता है कि वह कैपेसिटर सरचार्ज के रूप में वसूली गयी धनराशि को उपभोक्ता द्वारा अंतिम बिल में से घटाना सुनिश्चित करते हुए अधिक वसूली गयी धनराशि को नियमानुसार वादी को वापस करें। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें। विपक्षी अनुपालन आख्या 30 दिवस के अन्दर फोरम को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

19/12/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 19/12/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

19/12/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 19/12/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति